

# कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 669 / क / वि-स्था. / 2014

महासमुन्द, दिनांक 14 जुलाई, 2014

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-01/2013/1-6 दिनांक 05 जून, 2014 द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2014-15 के अनुसार माननीय प्रभारी मंत्री जी के अनुमोदन से "कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ महासमुन्द" के अधीन निम्नांकित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम-4 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र	कर्मचारी का नाम / पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	प्रस्तावित पदस्थापना (स्थान)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजू जगने / पशु परिचारक	पशु औषधालय पथरला वि.ख.पिथौरा	पशु औषधालय पटेवा वि.ख. महासमुन्द	—
2	श्री अंशराम साहू, / पशु परिचारक	पशु औषधालय कोमाखान वि.ख. बागबाहरा	पशु औषधालय तेन्दुकोना वि.ख. बागबाहरा	—
3	श्री सोहन लाल साहू / पशु परिचारक	पशु औषधालय जोबा वि.ख. महासमुन्द	पशु औषधालय रायतुम वि.ख. महासमुन्द	—
4	श्री हुसैन मन्नाडे, / पशु परिचारक	पशु औषधालय पटेवा वि.ख. महासमुन्द	पशु औषधालय पथरला वि.ख. पिथौरा	—
5	श्री रामलाल ध्रुव / पशु परिचारक	पशु औषधालय रायतुम	पशु औषधालय अचानकपुर	—

2/ स्थानांतरित कर्मचारी को उनकी नवीन पदस्थापना पर अधिकतम 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें स्वमेव भारमुक्त माना जाएगा एवं उनका वेतन वर्तमान पदस्थापना स्थान से आहरित नहीं किया जाएगा तथा कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पृ.क्रमांक / 669 / क / वि-स्था. / 2014  
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर  
महासमुन्द  
महासमुन्द, दिनांक 14 जुलाई, 2014

1/ निज सहायक, माननीय मंत्री जी गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रभारी मंत्री जी जिला महासमुन्द को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2)

- 2/ सचिव छत्तीसगढ़ शासन, पशुधन विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3/ संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएफ छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ।
- 4/ आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5/ उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ, महासमुंद को आवश्यक कार्यवाही हेतु। सर्व संबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ संबंधित विभाग/कार्यालय को भी आदेश की प्रति वितरित कराते हुए स्थानांतरण आदेश का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
- 6/ जिला कोषालय अधिकारी महासमुंद/बागबाहरा/पिथौरा/सरायपाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7/ जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC), महासमुंद। जिला कार्यालय की वेबसाईट में सूची अपलोड करें।
- 8/ प्रभारी पशु चिकित्सालय.....जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 9/ संबंधित कर्मचारी (नाम से) ..... को पालनार्थ।

3  
कलेक्टर  
महासमुंद